

आष्टक पत्रावली दिनांक 09/03/2021 को पेश हो।

09/03/2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में कई बार आवाज लगावाई गई। वकील गदीगण अथवा पक्षकारान में से कोई भी हानिर अदालत नहीं आया। अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पेंरवी में खारिज किया जाया है। पत्रावली चेंसल शुगार लेकर नम्बर से छुम हो तथा बाद तकमील गणिल दफ्तर हो। निर्णय पुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

RAS

उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीठर)